न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–27/2016/भीलवाड़ा (2015/00015)

1. श्रीमती जमनी पुत्री अमरचंद पत्नि उदयराम जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा हाल निवासी माणकियास, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र बालू जाट, नि0 लक्ष्मीपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा ।
2. श्रीमती नारायणी पुत्री बालू पत्नि शंकर जाट, नि0 लक्ष्मीपुरा हाल निवासी मोखमपुरा वाटर वर्क्स के पीछे, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 14.8.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 36/2015 .

उपस्थितः–

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री पुष्पेद्र सिंह नरूका, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री बी0एस0 शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांक :– 16.8.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 14.8.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया/अपीलांट ने विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1814 दिनांक 12.4.1985 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा संख्या 7381 से 7386 किता 6 कुल रकबा 5.13 बीघा भूमि अमरचंद पिता प्रताप जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । अमरचंद जाट की सितम्बर, 1984 में मृत्यु हो गयी ।

प्रार्थीया/अपीलांट ने अपील के साथ सजरा प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट स्व0 अमरचंद की पुत्री है । तत्कालीन खातेदार अमरचंद के दो पुत्र बालू, गोपी व एक पुत्री जमनी अपीलांट है । बालू फौत हो चुका है जिसके एक पुत्र व एक पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 है । अमरचंद का दूसरा पुत्र गोपी लाऔलाद फौत हो चुका है । अपीलांट के पिता अमरचंद की मृत्यु उपरांत नामांतकरण खोला गया जो अमरचंद के दोनो पुत्र बालू व गोपी के नाम खोला गया जबकि अपीलांट भी मृतक अमरचंद की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है जिससे अपीलांट के नाम भी तथाकथित नामांतकरण दर्ज किया जाना चाहिये था । अपील में दर्शाये पारिवारिक सजरे के अनुसार स्व0 अमरचंद की कृषि भूमियों में 1/2 हिस्सा अपीलांट का एवं 1/2 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 1814 निर्णय दिनांक 12.4.1985 को अपास्त किया जाकर अपील में दर्शाये अनुसार विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के साथ अपीलांट का नाम भी दर्ज करने के आदेश प्रदान करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 14.8.2015 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रस्तुत प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत है क्योंकि अपीलांट मृतक अमरचंद की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है एवं विवादित आराजियात पैतृक होने से अपीलांट का भी विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा निहित है । नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा ने नामांतकरण संख्या 1814 दिनांक 12.4.1985 अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर तस्दीक किया है क्योंकि विरासती नामांतकरण को खोलने का सर्वप्रथम 45 दिन का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है परन्तु इसके बावजूद बिना अधिकार नामांतकरण संख्या 1814 को बहाल रखने में विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार, भीलवाडा ने तथाकथित नामांतकरण स्वीकृत करते समय अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया एवं ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र का विपक्षी द्वारा कोई जवाब या कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया था जिससे अधी0न्याया0 को धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को मियाद में शुमार

करना चाहिये था किन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । मियाद अधि0 प्रक्रियात्मक अधिनियम है व तकनीकी आधार पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता है । नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतकरण आदेश अवैध एवं शून्य प्रभावी था जिसे चुनौती दिये जाने हेतु कोई समय सीमा मियाद कानून में निर्धारित नहीं है एवं ऐसे बिना अधिकार पारित आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है । नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 1814 दिनांक 12.4. 1985 पूर्ण रूप से बिना अधिकार पारित आदेश है और ऐसे बिना अधिकार पारित आदेश में भारतीय मियाद अधि0 की धारा 3 के तहत व मान0 राज0 उच्च न्यायायलय द्वारा पारित किये गये प्रतिपादित सिद्धांत 1988 (1) डब्ल्यू0एल0सी0 पेज 625 (बी) के अनुसरण में मियाद लागू नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 14.8.2015 एव नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1914 दिनांक 12.4.1985 को अपास्त किया जावे एवं अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1988 पेज 111 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी । दिनांक 18.8.2015 को जब प्रार्थिया अपने अधिवक्ता से अपने केस के बारे में जानकारी करने आई तब प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रकरण में दिनांक 14.8.2015 को निर्णय हो गया है तब उसी समय प्रार्थिया ने नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 24.8.2015 को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात् प्रार्थिया का स्वास्थ्य खराब हो गया जिससे प्रार्थिया समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकी। दिनांक 23.10.2015 को प्रार्थिया के स्वस्थ्य होने पर प्रार्थिया ने अजमेर आकर अधिवक्ता से संपर्क कर बिना विलंब के यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0 1881 पेज 5 सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया ।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 में नामांतकरण संख्या 1814 दिनांक 12.4.1985 के विरूद्ध लगभग 30 वर्षो के उपरांत भारी मियाद बाहर अपील पेश की थी तथा न्यायालय हाजा में भी विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 14.8.2015 के विरूद्ध मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है तथा मियाद प्रार्थना पत्र में विलंब के संतोषप्रद एवं उचित कारण अंकित नहीं किये है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से विधिसम्मत् रूप से अपास्त की

है। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट मृतक अमरचंद की पुत्री नहीं है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एवं न्यायालय हाजा के समक्ष मृतक अमरचंद की पुत्री होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह पुष्टि हो कि अपीलांट अमरचंद की पुत्री है । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलाट का प्रकरण मियाद एवं गुणावगुण दोनो ही आधार पर अपास्त किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने स्वंय को मृतक खातेदार अमरचंद की पुत्री होना बताते हुए नामांतकरण संख्या 1814 दिनांक 12.4.1985 को चुनाती दी है । अपीलांट मृतक खातेदार की पुत्री है अथवा नहीं इस संबंध में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था । प्रकरण में अपीलांट के विधिक हक प्रथमदृष्टया परिलक्षित होने से हम अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । वैसे भी मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियार शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा ने नामांतकरण संख्या 1814 दिनांक 12.4.1985 को स्वीकृत कर विवादित आराजियात मृतक अमरचंद के दो पुत्रों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है । अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अपीलांट मृतक खातेदार अमरचंद की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है जिसका विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा निहित है । नामांतकरण संख्या 1814 का अवलोकन किया गया । यद्यपि तथाकथित नामांतकरण पर पटवारी हल्का ने खातेदार अमरचंद की मृत्यु होने पर अपनी रिपोर्ट में अमरचंद के वारिसान के रूप में उसके दो पुत्रों के होने के संबंध में रिपोर्ट की है किन्तु अपीलांट ने स्वंय को अमरचंद की पुत्री होने का कथन किया है । यद्यपि अपीलांट ने अधी0न्याया0 में एवं न्यायालय हाजा के समक्ष स्वंय को अमरचंद की पुत्री होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है किन्तु इस संबंध में हम नायब तहसीलदार से विस्तृत जांच कराया जाना न्यायोचित समझते है।

8- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14. 8.2015 एवं नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1814 दिनांक 12.4.1985 अपास्त योग्य एवं प्रकरण नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 27/2016 (2015/00015) बउनवानी श्रीमती जमनी बनाम भैरूलाल को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.8.2015 एवं नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1814 दिनांक 12.4.1985 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार, भीलवाड़ा को निर्णय में दिये गये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट मृतक खातेदार अमरचंद की पुत्री होने के संबंध में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर जांच कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे तथा अपीलांट मृतक खातेदार अमरचंद की पुत्री पाये जाने पर मृतक अमरचंद के समस्त विधिक वारिसान के नाम नामांतकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 16.8.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर